

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

पत्र क्रमांक 2541 / तक. / ग्रासविप्रा / 2021

सीधी, दिनांक 10 / 11 / 2021

प्रति,

वन मण्डला अधिकारी,
जिला-सीधी (म.प्र.)

विषय :- सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मयापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी मार्ग के उन्नयन/डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, सीधी को उपयोग में देने बावत। (ऑनलाइन प्रपोजल नंबर-FP/MP/ROAD/51020/2020)

संदर्भ :-

- (1) भारत सरकार भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/ दिनांक 15.06.2021
- (2) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/1024/10-11/1894 दिनांक 15.06.2021
- (3) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3760 सीधी, दिनांक 22.05.2021

—00—

विषयान्तर्गत भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में शर्तों के आधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है तथा आपके मांग पत्र संदर्भ क्रमांक-3 के अनुसार कैम्पा मद में जमा की जाने वाली राशि को भारत सरकार के Parivesh Protal के माध्यम से क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि 5695054.00 एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 1349040.00 दिनांक 26.10.2021 को जमा करा दिया गया है, तथा पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 569505.00 का भुगतान MP Treasury के माध्यम से ऑनलाइन दिनांक 28.10.2021 को जमा की गई है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

स.क्र.	शर्त का विवरण	शर्त पालन
A:	Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.	
(1)	The cost of compensatory afforestation on the CA land (1.68 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment shall be deposited in advance with the Sate Forest Department by the projecet authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for antieipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि 5695054.00 (छप्पन लाख पन्चानवे हजार चौवन मात्र)/- भारत सरकार के Parivesh Protal के माध्यम से दिनांक 25.10.2021 को चलान जनरेट कर 26.10.2021 को (UTR-CBINH21299022381) जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।
(2)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 1.68 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'bel Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, as well as letter no. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.	शर्त के पालन में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 1349040.00 (तेरह लाख उनचास हजार चालिस मात्र)/-भारत सरकार के Parivesh Protal के माध्यम से दिनांक 25.10.2021 को चलान जनरेट कर 26.10.2021 को (UTR-CBINH21299022381) जमा की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

(3)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-prortal (https://parivesh.nic.in/)	शर्त के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि 5695054.00 (छप्पन लाख पन्चानवे हजार चौवन मात्र)/- एवं नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि 1349040.00 (तेरह लाख उनचास हजार चालिस मात्र)/- कैम्पा मद में दिनांक 25.10.2021 को चलान जनरेट कर 26.10.2021 को (UTR- CBINH21299022381) जमा की गई है।
(4)	Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	प्रकरण प्रभावित वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के समतुल्य गैर वन भूमि माननीय न्यायलय कलेक्टर जिला सीधी के आदेश प्रकरण क्रमांक 001/अ-19/2020 सीधी, दिनांक 03.06.2020 द्वारा ग्राम खुटेली में आराजी नंबर 460 रकवा 1.68 हेक्टेयर गैर वन भूमि वन विभाग सीधी को हस्तांतरित किया गया है, जिस पर वन विभाग सीधी द्वारा दिनांक 01.02.2021 को प्राप्त किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है।
(5)	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	शर्त के पालन में कलेक्टर जिला सीधी द्वारा दिनांक 16.06.2020 को एफ.आर.ए. जारी किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
(6)	The User agency shall obtain NBWL clearance before issuance of working permission for area falling in Son-Ghariyal Wildlife Sanctuary and same shall be submitted at the time of Stage-II approval.	प्रस्तावित मार्ग Son-Ghariyal Wildlife Sanctuary के अंतर्गत नहीं है।
(7)	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.	इस शर्त के पालन में Diverted Area एवं CA Areas की KML Files e-Green Portal पर upload की कार्यवाही की जा रही है।
(8)	Violation of any if these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019 -	अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
(9)	The compliance report shall be uploaded on e-prortal (https://parivesh.nic.in/).	शर्त के पालन में Compliance Report e-Portal पर upload कर दी गई है।
B:	Conditions which need to be strictly complied on filed after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:	
(1)	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(2)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.680 ha non forest land (Khasra No. 460/2. Village-Khuteli, Tahsil-Bahari, District Sidhi, Madhya Pradesh) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, species should be avoided.	शर्त का पालन वन विभाग द्वारा किया जावेगा। सी.ए. की राशि कैम्पा मद में जमा कर दी गई है।

(3)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(4)	The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts. Rules Regulation, guidelines. NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project. If any, for the time being in force, as applicable to the project.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(5)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986, if applicable.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(6)	User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(7)	User Agency shall provide suitable under pass/over pass for free movement of wildlife in and around the forest area in accordance to eco friendly measures to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife (2016) as approval by CWLW of State Government.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(8)	Speed regulating signage will be the implementation of this project.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(9)	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(10)	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(11)	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	शर्त का पालन कड़ाई से किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(12)	No layout camp shall be established on the forest land.	शर्त का पालन किया जावेगा। वन भूमि में कोई ले-आउट कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(13)	User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त का पालन किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(14)	The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(15)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(16)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।
(17)	Any other condition that the Ministry of Environment Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	शर्त का पालन इस विभाग द्वारा किया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है, कि मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209) के वन क्षेत्र से गुजरने वाली लंबाई 2.80 कि.मी. में उन्नयन/डामरीकरण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि ग्रामीण जनों को आवागमन की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, वन विभाग द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन इस कार्यालय के द्वारा किया जावेगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(महेश प्रताप सिंह परिहार)
महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

सीधी, दिनांक 10 / 11 / 2021

पृ. क्र. 2542क/ग्रासविप्रा./2021
प्रतिलिपि :-

- (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधक) म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (2) प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि., पर्यावास भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
- (3) मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- (4) मुख्य महाप्रबंधक रीवा, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. आर.आर.एन.एम.यू. भवन, वायपास तिराहा सतना रोड़ चन्द्रलोक होटल के पीछे, वार्ड क्रमांक-4 चोरहटा रीवा की ओर सादर सूचनार्थ।



महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

शाखा प्रबंधक

Branch Manager

शाखा Branch Sidhi

आरटीजीएस/एनईएफटी के अंतर्गत निधि अंतरण हेतु आवेदन APPLICATION FOR FUNDS TRANSFER UNDER RTGS/NEFT

कृपया नीचे दिये गये विवरण के अनुसार राशि रु. 7044094.00 (रुपये Seventy Lakh Forty four thousand Ninety four) प्रेषित करें तथा राशि को आपके पास रखे गये मेरे/हमारे खाता में अपने प्रभार के साथ नाम करें। Please remit a sum of Rs. (Rs. Only)
as per details given and debit the amount with your charges to my/our account with you.

आवेदक का विवरण Details of Applicant						हितग्राही का विवरण Details of Beneficiary					
1. नाम Name	ADMINISTRATIVE A/C					1. शहर City	Delhi - 110003				
2. खाता नं. A/c No.	1793102296					2. बैंक Bank	Union Bank of India				
3. खाते का प्रकार Type of A/C	बचत HSS	चालू CD	सीसी CC	ओडी OD	अन्य OTR	3. शाखा Branch	Lodhi complex Branch				
4. ग्राहक का आईडी नं. Customer ID No.						4. खाता नं. A/c No.	150766151020600				
5. पता Address	MPRRDA P.U. STATION					5. खाते का प्रकार Type of A/C	बचत HSS	चालू CD	सीसी CC	ओडी OD	अन्य OTR
6. टेलीफोन/मोबाईल नं. Tel./Mob. No.	07822-251049					6. नाम Name	MAOHYA PRADESH CAMPA.				
7. ई-मेल आईडी/फैक्स नं. E-mail ID/Fax No.	gmplusidhi@rediffmail.com					7. टेलीफोन/मोबाईल नं./फैक्स नं. Tel./Mob. No./Fax No.					
8. पैन नं. PAN No.	JBP MO6654E					8. ग्राहक का आईडी नं. Customer ID No.					
						9. आई.एफ.एस.सी.कोड IFSC Code	UBIN0903710				

मैं/हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस/एनईएफटी मार्गदर्शनों/विनियमों/नियमों तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शनों/नियमों तथा शर्तों का पालन करेंगे। I/we agree to abide by the Real time gross settlement system (RTGS/NEFT guidelines / Regulation / rules etc. issued by Reserve Bank of India from time to time and also the guidelines and or terms and conditions of Central Bank of India from time to time.) सामान्य परिस्थितियों में हितग्राही बैंक शाखा उसी दिन (अर्थात् इस आवेदन की दिनांक को) हितग्राही बैंक/शाखा केन्द्र पर निर्धारित नियम व शर्तों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम आरटीजीएस/एनईएफटी मार्गदर्शनों/विनियमों/नियमों के अधीन हितग्राही के खाते में जमा करेगी। Under normal circumstances, the beneficiary bank would credit the beneficiary account on the same day (i.e. on the date of this application) at the beneficiary Bank/Branch centre subject to the terms and conditions prescribed and also subject the RTGS/NEFT guidelines rules/Regulation of RBI.

आवेदक के हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित

Applicant's Signature verified by C B IN H 21299022381

भवदीय Your faithfully

एसएस नं. SS No.

अधिकारी विभाग

Officer Dept.

आवेदक के हस्ताक्षर Application Date

केवल बैंक के उपयोग हेतु For Bank Use Only

निधि अंतरण हेतु नाम राशि रु. Amount Debit for F/T Rs.		प्रभारी आरटीजीएस/एनईएफटी The In-charge RTGS/NEFT	
2. बैंक का प्रभार Bank Charges Rs. रु.		उपरोक्त दिये गये हितग्राही के विवरण के अनुसार लेनदेन एंटर किया गया Transaction Entered as per Detail of Beneficiary given above	लेनदेन अधिकृत किया गया तथा निधि आरटीजीएस के जरिये उपरोक्त दिये गये हितग्राही के विवरण के अनुसार प्रेषित की गई Transaction authorized & fund remitted through RTGS as per the Detail of Beneficiary given above
3. कुल Total Rs. रु.		प्राथमिकता कोड Priority Code (यदि कोई हो if any)	आरटीजीएस क्र. RTGS Sr. No.
4. बचत HSS चालू CD सीसी CC ओडी OD अन्य OTR		अधिकृत अधिकारी Authorized Officer एसएस नं. S.S. No. (बनाने वाला Maker)	आईएफएस सी कोड IFSC Code
नाम दिया A/c Debited दिनांक Date समय Time विभाग Dept.	अधिकारी Officer एसएस नं. S.S. No.	दिनांक Date समय Time	अधिकृत अधिकारी Authorized Officer एसएस नं. S.S. No. (चेक करने वाला Checker)
		दिनांक Date समय Time	दिनांक Date समय Time

प्राप्ति ACKNOWLEDGMENT

श्री खाता बचत ADMINISTRATIVE A/C MPRRDA HSS चालू CD सीसी CC ओडी OD अन्य OTR संख्या 1793102296 से राशि रु. 7044094.00 पर प्राप्त किया। Received Application from (Name) for fund transfer under RTGS as details below. हितग्राही का नाम Beneficiary Name Maohya Pradesh CAMPA शहर City Delhi - 110003 बैंक Bank U.B.I. शाखा Branch Lodhi complex खाता संख्या A/c No. 1507661510 - खाते का प्रकार Type of A/C बचत HSS चालू CD सीसी CC ओडी OD अन्य OTR शाखा की मुहर Seal 20600

अधिकारी के हस्ताक्षर Signature of officer

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-10-2021

Agency Name.	GM MPRDA PIU SIDHI
Application No.	6151020600
MoEF/SG File No.	6-MPB049/2021-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	old swaraj bhavan sidhiSidhi
Amount(in Rs)	7044094/-

Amount in Words :Seventy Lakh Forty-Four Thousand and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150766151020600 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-10-2021

Agency Name.	GM MPRDA PIU SIDHI
Application No.	6151020600
MoEF/SG File No.	6-MPB049/2021-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	old swaraj bhavan sidhi Sidhi
Amount(in Rs)	7044094/-

Amount in Words :Seventy Lakh Forty-Four Thousand and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150766151020600 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com

Account Officer
MPRDA PIU SIDHI (M.P.)



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh

Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment to M.P.State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment/Registration No. : GM PIU SIDHI	Depositor/Dealer Name : GM MPRRDA PIU SIDHI Address : FP/MP/ROAD/51020/2020 Bichhari Road Siahwal SIDHI Madhya Pradesh
Head of A/c details : 0406--01--800--0229	Concern Period : From Date: 01/10/2021 To Date: 31/10/2021
Name of Bank : State Bank Of India	District Name : SIDHI
Bank Scroll No. : 11569	Bank Scroll Date : 28102021
Date and time of Transaction : 28/10/2021 18:09:31	
Amount : 569505	Amount in words : Five Lakh Sixty Nine Thousand Five Hundred Five Only.
Challan Identification No(CIN) : SBIN000615904062810202111569	
Bank Reference No(BRN) : CKR8052998	
Cyber Receipt No. (CRN) : MPT040628102021000038	
Treasury Challan number : 0406586	
Note: Challan search facility is available at www.mptreasury.org	

न्यायालय कलेक्टर, जिला- सीधी म0प्र0
प्रकरण क्रमांक / 0001 अ- 19(3) / 2020-21

वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सीधी(म0प्र0)।

द्वारा:- कार्यालय महाप्रबंधक म0प्र0 सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना
क्रियान्वयन इकाई।

बनाम

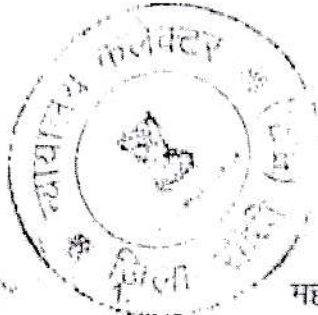
आवेदक।

मध्य प्रदेश शासन

अनावेदक।

आदेश

(दिनांक, 29 जुलाई 2020 को पारित)



महाप्रबंधक म0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन
इकाई सीधी के पत्र क्रमांक / 1386 / तर्क/ग्रासप्रा / 2020 सीधी दिनांक 11.06.2020 प्रेषित कर
नवीन सड़क निर्माण ग्राम मायापुर, खुटेली, लौआर रोड से बिछरी के वन क्षेत्र से गुजरने वाले भागों
में डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध कराये/चिन्हित कराने
बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने हेतु लेख किया गया।

2. उक्त पत्र प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सिहावल से प्रतिवेदन मंगाया गया।
तहसीलदार बहरी के द्वारा ग्राम मायापुर खुटेली तहसील बहरी की शासकीय आराजी क्रमांक
460 रकबा 23.11 हे० में से 1.68 हे० भूमि हस्तान्तरण किये जाने के लिये इशतहार का प्रकाशन
करते हुये आपत्तियाँ आमंत्रित किये जाने पर म्याद अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

3. प्रस्तावित आराजी ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत से
सहमति प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटेली जनपद पंचायत सिहावल के ग्राम पंचायत
की बैठक दिनांक 26.06.2020 को चयनित शासकीय आराजी क्रमांक 460 रकबा 23.11 हे० में
से 1.68 हे० में डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध
कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आबंटन किये जाने हेतु लेख किया गया।

4. उपखण्ड अधिकारी सिहावल के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 03.07.2020 में
ग्राम मायापुर खुटेली तहसील बहरी की शासकीय आराजी क्रमांक 460 रकबा 23.11 हे० में से
1.68 हे० भूमि डामरी करण कार्य कराये जाने हेतु समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध

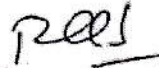
Collector
Distt. Seoni (M.P.)

कराये/चिन्हित कराने बावत् वन विभाग को भूमि आवंटन किये जाने की अनुशंसा की गई है।
प्रस्तावित रकवा को नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है।

5. प्रकरण में संलग्न खसरा नकल वर्ष 2019-20 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि ग्राम मायापुर खुटेली की आराजी क्रमांक 460 रकवा 23.11 हे० म०प्र० शासन मद अंकित अभिलेख है।

6. राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार, क्रमांक-2 की कण्डिका 5 में राज्य शासन के अन्य विभागों को भूमि अन्तरित किये जाने के लिये प्रावधानित किया गया है। प्रस्तावित भूमि खसरा क्रमांक 460 रकवा 23.11 हे० में से 1.68 हे० बंटित नहीं की जा रही है, शासकीय विभाग को अन्तरित की जा रही है, जिससे बाजार मूल्य के अनुसार भूमि की कीमत नहीं ली जायेगी बल्कि निःशुल्क अन्तरित की जायेगी।

7. अतएव उपखण्ड अधिकारी सिहावल के प्रस्ताव अनुसार तहसील बहरी के पटवारी हल्का खुटेली के ग्राम खुटेली की प्रस्तावित शासकीय आराजी 460 रकवा 23.11 हे० में से अंश रकवा 1.68 हे० भूमि वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सीधी, जिला सीधी को निःशुल्क अन्तरित की जाती है।


(रवीन्द्र कुमार चौधरी)
Collector
Siddhi (M.P.)
जिला-सीधी(म०प्र०)

पृष्ठा० क्रमांक ०००१ / अ-19(3) / 2020-21

सीधी, दिनांक 29 जुलाई 2020

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी, सीधी को सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक म०प्र० ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई सीधी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपखण्ड अधिकारी सिहावल।
4. तहसीलदार, बहरी की ओर सूचनार्थ। अभिलेख दुरुस्त कर खसरे की प्रति 07 दिवस के अंदर भेजे।


Collector
Siddhi (M.P.)
जिला-सीधी(म०प्र०)

[illegible]

01-02-021

परिचय चढावाक
महसुल

01/02/21
Estimate 123

Cheng

2007-08-24

FORM-1

[for linear projects]

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Sidhi

No -2206

Dated-16-16-2020

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests {MoEF} Government of India's letter No.11-9/98-FC { pt.} dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers {Recognition of Forest Right} Act,2006 {"FRA, for short} on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.68 hectare/2.80 km of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Rural Road Development Authority PIU Sidhi Dist Sidhi falls within jurisdiction of Madhya Pradesh Gram Panchayat Laauar, Pepkhar, Village Bichhari, Block Sihawal for PMGSY Road Mayapur Khuteli To Bichhari in Sihawal Block.

It is further certified that

{a } The complete process of identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.68 hectares/ 2.80 km of forest area proposed for diversion . A copy of record of all consultations and meeting of the Forest Right committee {s} , Gram Sabha {s}, Sub Divisional level committee {s} and the District Level committee are enclosed as annexure 1 to 2 annexure 5 page

{b} The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 {2} of the FRA has been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.

{c} The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural communities.

Encl: As above


Collector

{Full name and office seal of District Collector}

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged का पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।



(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.680 ha non forest land (Khasra No. 460/2. Village-Khuteli, Tahsil-Bahari, District Sidhi, Madhya Pradesh) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, cspecies should be avoided के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (3) Additional amount of the NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon,ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (4) The State Government and user agency shall comply the provisions of the all Acts. Rules Regulation, guidelines. NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project. If any, for the time being in force, as applicable to the project के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।



(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (5) User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (protection) Act, 1986 , if applicable के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (6) User Agency shall raise strip plantatin on both sides and central verge of the road as per the IRC norms. के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (7) User Agency shall provide suitable under pass/over pass for free movement of wildlife in and around the forest area in accordance to eco friendly measures to mitigate impacts of linear infrastructure on wildlife (2016) as approval by CWLW of State Government के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (8) Speed regulating signage will be the implementation of this project के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (9) No tree felling shall be involved in the implementation of this project. के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (10) The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (11) The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Centaral Government के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (12) No layout camp shall be established on the forest land के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (13) User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (14) The Period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (15) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

कार्यालय महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (16) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.).

कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी
(पुराना स्वराज भवन सीधी)

प्रमाण-पत्र

सीधी जिले में विकास खण्ड सिहावल अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-I (Regular) Batch-V (वर्ष 2017-18) तहत मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209), लम्बाई 4.80 किमी. स्वीकृत है, जिसमें कुल 2800 मीटर वन मण्डल सीधी परिक्षेत्र बहरी के संरक्षित वनखण्ड बिछरी वन क्षेत्र से गुजरता है तथा मार्ग के डामरीकरण हेतु 1.68 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है।

भारत सरकार भोपाल के पत्र क्रमांक/6-MPB049/2021-BHO/दिनांक 15.06.21 में वर्णित शर्त क्रमांक-B (17) Any other condition that the Ministry of Envirment Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife के पालन किये जाने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।


(महेश प्रताप सिंह परिहार)

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)